संख्या– 1163 /9–9–13–123ज/11

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2013

विषयः–13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुतियों के कम में वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राप्त सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में नागर निकायों को स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–664/9–9–13–123ज/11 दिनांक 04.06.13 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियो के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में समस्त नागर निकायों को स्वीकृत धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31 दिसम्बर 2013 तक इस शर्त के अधीन बढाई जाती है कि किसी भी दशा में उक्त तिथि से आगे उपयोगिता अवधि नही बढाई जायेगी। समस्त नागर निकायो द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि का प्रयोग प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। उक्त अवधि में अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग न किये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

GO-K

**महत्वपूर्ण**

संख्या–1163(1)/9–9–11–123ज/2010

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2013

विषय – 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपयोग की समीक्षा।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कतिपय निकायों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर निकायों को उपलब्ध कराये जा रहे अनुदान की धनराशि को जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा समय से कार्य योजना का अनुमोदन न किये जाने के कारण उक्त अनुदान की धनराशि का उपयोग निर्धारित समय में नही हो पा रहा है, जिसके कारण निकायों द्वारा उपयोगिता अवधि बढाये जाने की मांग की जाती है।

2. इस सम्बंध में शासनादेश संख्या–828/9–9–11–123ज/2010 दिनांक 05.08.11 द्वारा 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर निकायों को अवमुक्त धनराशि का नियत अवधि में उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त के क्रम में पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर निकायों को अवमुक्त धनराशि का नियत अवधि में उपयोग सुनिश्चित कराया जाय तथा उक्त अनुदान के उपयोग की नियमित रूप से मासिक समीक्षा की जाय एवं उपरिसंदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र पर निकायों को अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता की सूचना प्रत्येक माह शासन/निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

GO-K